### Urgent

From

The Chief Administrator, H.S.A.M.Board. Panchkula.

To

CRN0:-343

- 1) All the Z.As, ZMEOs, DMEOs, HSAM Board in the State.
- 2) All the Secretary-cum-E.O., Market Committees in the State.

ME-I-A-I-2015/116/87-322 Dated 11-12-15

Subject:

Implementation of the Haryana Right to Service Act 2014.

Ref:-

D.O. letter No CC/HRTSC/2015/170 Dated 24.11, 2015

It has been observed by the Hon'ble Chief Commissioner, Haryana Right to Service Commission during his visit to the Market Committees that the obligations under the Haryana Right to Service Commission to be fulfilled by the Market Committees and other Offices of the Board.

You are, therefore, directed to take necessary action for preparing advertisement holding/Boards and display thereof in your office premises and other suitable locations in the Mandis. A specimen for the preparing of the Advertisement/ Holding Board and notifications of the Act are enclosed for the appraisal and necessary.

D.A:- As Above

For Chief Administrator.

Endst. No. ME-I-A-I-2015 116322-489

Dated:- 11-12-15

A copy of the above is forwarded to the following:-

1. All the Deputy Commissioner in the State.

- 2. All the S.D.O. (Civil) cum Administrator Market Committees in the State.
- 3. The C.E I &II, CFA, ADO I, II, III.HSAM Board Panchkula.
- 4. All the Branch Incharge (HQ) HSAM Board Panchkula.
- 5. PS/PA to CA/ Secretary HSAM Board.
- 6. The S.E/ XEN (IT) HSAM Board Panchkula.

For Chief Administrator



# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

80-2015/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 7, 2015 (VAISAKHA 17, 1937 SAKA)

#### हरियाणा सरकार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना

## दिनांक 7 मई, 2015

संख्या 7/31/2014—3ए.आर.— सम पत्र संख्या 7/8/2011—3ए0आर0, दिनांक 07 जून, 2011 तथा दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2011 के अधिक्रमण में, तथा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, निम्निलिखित सेवाएं, दिए गए समय जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी है, पदिनिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं :--

#### अनुसूची

	A		10 5			
क्र0 सं0	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा (कार्य दिवस)	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व	(i) फर्द केन्द्र स्तर पर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अर्थात् अधिकारों का रिकार्ड (जमाबंदी) गिरदावरी, इन्तकाल इत्यादि	1 दिन	डयूटी पटवारी—1	सम्बद्ध उप-मण्डल का सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	सम्बद्ध जिले व उपायुक्त

Price: Rs. 5.00

(1279)

क्र0

		<b>ाम</b>	1		दी गई र सीमा	. ज जिंद्याभाह	त अधिकार्र	री प्रथम शिकार	-	10	
-									।त	द्वितीय	शिका
L	1	2	3		(कार्य दिव	ास)		निवारण प्राधि	कारी	निवारण	प्राधि
_		A 15			4		5				
7	3 of	4						6			7
	3 कि	1	मृदा परीक्षण	रिपोर्ट /	10 0	मटा गरी			-		1
			मृदा बारोग्यक	रण कार्ड	10 दिन	्रिया पराक्ष	ाण आधेका	री कृषि उपनिदेश	TCF	-0	
1/2						(सम्बद्ध)		(सम्बद्ध)		कृषि अप	र निद
V 74	हरि	याणा	अनापन्ति प्रमाप	11 11						(मृदा और	जल
	राज्य			1 42	30 दिन	सम्बद्ध सा	नेत एंच		100	प्रबन्धन)	
1	विपष	गन बोर्ड त	नारी करना।	।बटन		कार्यकारी	अप ५५	डी०एम०ई०ओ०	1	जैड0एम0इ	foot
75	हरिय	ाणा ह	गरा पार्ना।			11441()	आधकारा			1003405	१०आ०
	राज्य	-	स्तांतरण पत्र	जारी 3	0 दिन	ग्रावन -					
	विपण	न बोर्ड	रना	1		सम्बद्ध सरि	वि एव	डी०एम०ई०ओ०	-3		
. 76	हरिया					कार्यकारी 3	निधकारी	, 10000110	0	ड0एम0ई	०ओ०.
11.0	टारया	णा बिंह	गकी प्रमाण प	त्र जारी 1	दिन						
	राज्य		रना	. 911 (1)	) दिन	सम्बद्ध सचि	व एंव	Annua L			
1	11वपण-	न बोर्ड				कार्यकारी अ	धिकारी	डी०एम०ई०ओ०	जै	ड०एम०ई०	ओ०
77	हरियाप		<sub>क्य</sub> के मामलें	#	0	1					10
	राज्य त	1214 1414	मित का पुनः	٦  30	दिन	सम्बद्ध सचिव	Tie	-0			
	विपणन	बोर्ड	ं गा पुनः र	अतरण		कार्यकारी आ	34	डी०एम०ई०ओ०	जैल	<b>80एम</b> 0ई०:	atto
78	हरियाण		ग के - 1	1		ं गारा आ	नकारा			27.1050	भाग
	राज्य व		य के मामलें :	F 60	दिन	याज्य					
	विपणन	योस्। (	ति का पुनः अ	तिरण		सम्बद्ध सचिव	एव र	डी०एम०ई०ओ०	4		
79	हरियाणा	0 1/0119	MICH HOLL	- 1		कार्यकारी अधि	कारी	. 10000110	जिड	0एम0ई03	To
7,0	61141011	िकस	ानों को जेत	फार्म जिल	ाद की	A					
	राज्य कृ	ואותו די	करना		0 1	नण्डी पर्यवेक्षक	या इ	ो०एम०ई०ओ०			
	विपणन	बोर्ड			ना आर ।	नहायक सचिव		107,40ई0अ10	डी0ए	म0ई0ओ0	
214				तुलाइ	क		- 1				
80	हरियाणा	कृषि	कायों के दौरा	उसी							
5	राज्य कृषि	4 IIch JJT			न र	म्बद्ध सचिव ए					
f	वेपणन बं	र्ड लिए त	षाट या मृत्यु वृषकों को वित	क	क	ार्यकारी अधिव	प डा	०एम०ई०ओ०	जैतरम	ा०ई०ओ०	
		ग्रनामः	रूपका का वित	तीय		. नगरा आध्य	ואוי		1.05	1050आ0	1
		प्रदान	ा (अनुगृहपूर्व	(त					1		
81 ह	रियाणा	12411	ודאנד	1					1		
रा	ज्य कृषि	1गरवा	के लिए अनाप	ति 15 दिन	7 71						
ति	पणन बोर	् ।प्रमाण र	नत्र जारी करन	ना ।		वेव एंव कार्यव	गरी सम्ब	द्ध सचिव एव	4		
82 उह	प्राप बार	5			आह	विगरी	कार्य	कारी अधिकारी	जै०एम०	इं0ओ0	
1 -	योग एवं	एम.एस.प	रम.ई.डी	2 4		F. 152 25 25		गरा जावकारा			
[91]	णेज्य	एक्ट,200	)6 के अधी <del>न</del>	3 दिन	संय	क्त निदेशक /	उप अभि	10.0			
		उद्यमियों	की नागन र		निदे	शक	The second secon	रेक्त निर्देशक,	नेदेशक	उद्योग ए	ā
		की पावन	ने शापन—। गे जारी करना				उद्योग	1	गणिज्य	, ,	1
3 उद्य	ोग एवं	एम.एस.ए	म र्न क						NUO. NE POSSO		
वाणि	ाज्य .	Ude 202	7.5.61.	3 दिन	संरात	त निदेशक/र					
		340,2008	के अधीन		निदेश	प । गपशक / र		क्त निदेशक, नि	देशक		
		त्री गान्य	की ज्ञापन—॥		1198	147	उद्योग		ापराक ाणिज्य	उद्योग एट	
. उद्यो	ग एवं	पग पावती	जारी करना					14	गण्य		
वाणि	1 34	मारताय व	यलर	10 दिन		No. of the last of					
11131		अधिनियम,	1923 के	14.1	वायल	र का मुख्य	अपर नि	नेदेशक र	1		
	13	भधान वाय	लर		निरीक्ष	क	उद्योग	li i	देशक च	द्योग	
उद्योग	Ч	जीकरण					ا ا ا	तथ	ग वाणि	ज्य	
1041.1	एवं भ	ारतीय वॉ	यलर	- 0 -						2	
वाणिज	य । अ	धिनियम,	1000 -	7 दिन	वॉयलर	का मुख्य				-	
	(3)	धीन वॉयल	1923 क		निरीक्षव	11 304	अपर नि	देशक निहे	शक उ	and the same	= 100
	151	-11 4140	74		, ,,,,,,,	98 50	उद्योग	1.14	वाणिज	भाग	1
									CHICHE		
	140	जीकरण गीकरण	का						411-10	4	



## हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कम्पलैक्स न0.6, सैक्टर–6,पंचकूला। सेवा का अधिकार नियम 2014 के अन्तर्गत सेवायें व उनके प्रदान करने वाले अधिकारी, समयाविध तथा प्राधिकारी बारे आवश्यक सूचना।

क्र0	सेवा का नाम	दी गई	पदाभिहित	प्रथम शिकायत	000
स0		समय सीमा (कार्य दिवस)	अधिकारी	निवारण प्रााधिकारी	द्वितीय निवारण प्राधिकारी
1	अनापन्ति प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट आबंटन जार्र करना।	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी० एम० ई० ओ०	जैड० एम० ई० ओ०
2	हस्तांतरण पत्र जारी करना।	30 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी० एम० ई० ओ०	जैड0 एम0 ई0 ओ0
3	बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना	15 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी० एम० ई० ओ०	जैड० एम० ई० ओ०
	विक्रय के मामले में सम्पति का पुनः अतंरण		सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी० एम० ई० ओ०	जैड० एम० ई० ओ०
12	विक्रय के मामले में सम्पति का पुनः अतंरण (अविवादित मृत्यु)		सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी० एम० ई० ओ०	जैड० एम० ई० ओ०
1	किसानो को जे फार्म जारी	उत्पाद की निलामी और तुलाई के उसी दिन	मण्डी पर्यवेक्षक या सहायक सचिव	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी० एम० ई० ओ०
\(\frac{1}{2}\)	कृषि कार्यो के दौरान किसी बोट या मृत्यु के लिए कृषकों को वित्तीय सहायत अनुगृहपूर्वक)प्रदान करना।	60 दिन	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	डी० एम० ई० ओ०	जैड० एम० ई० ओ०
Image: square of the property of	गेरवी के लिए अनापति माण पत्र जारी करना।	15 दिन	सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	सम्बद्ध सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी	जैड० एम० ई० ओ०

- यदि प्रार्थी का कार्य नियत अविध में नहीं होता तो सेवा का अधिकार नियम 2014 की धारा (6) के तहत नियत अविध या निरस्त होने की तिथी के 30 दिन के अन्दर—अन्दर प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी को अपील कर सकता है।
- सेवा का अधिकार नियम 2014 की धारा (7) के तहत यदि प्रार्थी को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी के फैसले में वर्णित नियत समय पर

सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो वह ऐसी समयावधि के 60 दिन के अन्दर—2 द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी को अपील कर सकता है।

- सेवा का अधिकार नियम 2014 की धारा 9 (1) के तहत जहाँ द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी की राय में पदाभिहित अधिकारी और /या अन्य कोई कर्मचारी ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल था और बिना किसी पर्याप्त एवं उपयुक्त कारण के सेवा उपलब्ध नहीं करवाता, एकमुश्त जुर्माना जो कि प्रति केस 250 रू० से कम न हो और 5000 रू० से ज्यादा न हो, लगा सकता है।
- सेवा का अधिकार नियम 2014 की धारा 9 (2) के तहत जहाँ द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी की राय में पदाभिहित अधिकारी और /या अन्य कोई कर्मचारी ऐसी सेवा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में शामिल था और अनावश्यक देरी के सेवा उपलब्ध नहीं करवाता, पर एकमुश्त जुर्माना जो कि प्रति केस 250 रू० से कम न हो और 5000 रू० से ज्यादा न हो लगा
- सेवा का अधिकार नियम 2014 की धारा 9 (3) के तहत द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी प्रार्थी को 1000 रू० तक मुआवजे का आदेश दे सकता है जो कि पदाभिहित अधिकारी या कोई अन्य कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अदा किया जायेगा।

ह0 रा0 कृ0 वि0 बोर्ड पंचकूला a read county

Sr. No.	Name of the Depart-ment		Given Time Limi (working days)	d Designated Officer	First-Appellate Authority	Second Appella Authority
1	2	3	4	5	6	7
63.	Housing Board	Issue of No Objection Certificate/Duplicate Allotment/R allotment Letter	21 Days	Estate Manager of Concerned District	of Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
64.	Housing Board	(i) Issue of Conveyance Deed	15 days	Estate Manager of Concerned District	of Chief Revenue Officer Housing Board Haryana	Secretary Housing Board Haryana
		(ii) Issue of Conveyance Deed through GPA	45 Days	Estate Manager of Concerned District	of Chief Revenue Officer Housing	Secretary Housing Board
65.	Housing Board	Issue of No Due Certificate	30 Days	Estate Manager of Concerned	Officer Housing	
66.	Housing Board	Transfer of property in case of sale	15 Days	District Estate Manager o Concerned	Officer Housing	Haryana Secretary Housing Board
67.	Housing Board	Transfer of property in case of death (uncontested)	45 Days	District Estate Manager o Concerned	Officer Housing	Haryana Secretary Housing Board
68.	Housing Board	Issue of permission for mortgage	7 Days	District Estate Manager of Concerned	Board Haryana f Chief Revenue Officer Housing	Haryana Secretary Housing Board
69.	Housing Board	Attested copy of any document	7 Days	District Estate Manager of Concerned District	Officer Housing	Haryana Secretary Housing Board
70.	Housing Board	Change of Ownership (other than Death Cases)	45 days	Estate Manager of Concerned District	Officer Housing	Haryana Secretary Housing Boar
71.	Housing Board	Demarcation of Plot	21 days	Sub Divisional Engineer	Board Haryana Executive Engineer	Haryana Chief Engineer
72.	Agriculture	Supply of Soil Sample Results	7 days	Agriculture Officer In charge	Sub Divisional Magistrate of the concerned Sub- Division	Additional Deputy Commissioner (General)/ Deputy Commissioner of the concerned District
73.	Agriculture	Soil Test report/ Soil Health Card	10 days	Soil Testing Officer (concerned)	Deputy Director of Agriculture (Concerned)	Additional Director of Agriculture (Soil & Water Management)
74.	HSAMB	Issue of NOC/ Duplicate Allotment/ Re-allotment	30 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
75.	HSAMB	Issue of Conveyance Deed	30 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
76.	HSAMB	Issue of No dues Certificate	15 days	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO	ZMEO
77.	HSAMB	Re-transfer of property in case of sale	30 days		DMEO	ZMEO
78.	HSAMB	Re-transfer of property in case of sale (Uncontested Death)	60 days		DMEO	ZMEO
79.	HSAMB		Same Day of auction and weighment of produce	Mandi Supervisor or Assistant Secretary	Concerned Secretary-cum- Executive Officer.	DMEO
80.		Providing financial aid (ex-gratia) to cultivators for any injury or death during farming operations	60 days			ZMEO
31.					DMEO	ZMEO
32.	Commerce	Issuing of Entrepreneurs Memorandum Part-I acknowledgement under MSMED Act 2006.	3 days	Joint Director/Deputy		Director Industries & Commerce